[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2018

सं. 59/2018 – सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एशिया-प्रशांत व्यापार करार (पूर्व में बैंकाक करार) नियमावली, 2006 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

1. (1) इन नियमों को एशिया-प्रशांत व्यापार करार (पूर्व में बैंकॉक करार के रूप में जाना जाता है) के तहत माल की उत्पत्ति के निर्धारण के नियम संशोधन नियमावली,2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

2. एशिया ,नियमावली (पूर्व में बैंकाक करार) प्रशांत व्यापार करार-2006 में, (एतद्पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में जाना जाएगा) पाद टिप्पण में,-

(i) पाद टिप्पण 6 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"6. जैसा की अनुबंध-ग में दिया गया है" ।

(ii) पाद टिप्पण 8 के पश्चात निम्नलिखित पाद टिप्पण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"9. नियम 5 में "कुल मात्रा" की गणना, इनपुट में प्रयुक्त मूल सामग्री के मूल्य (वी ओ एम 1) और भागीदार राज्यों के द्वारा मिलाए गए मूल सामग्री के मूल्य, जहां कि अंतिम रूप से निर्मित उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की गई हो (वी ओ एम 2), को जोड़कर की जाएगी। वी ओ एम 1 से अभिप्राय उत्पाद के उस मूल्य से है जो कि पिछले भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र में मूलत: उत्पादित होने से निकाला गया हो, जिसकी गणना अनुच्छेद 1 से 8, अनुच्छेद 15 और सीमाशुल्क मूल्यांकन करार के संबंधित टिप्पणी की व्याख्या के आधार पर की जाएगी। वी ओ एम 2 से अभिप्राय उस मूल सामग्री के मूल्य से है जो कि उस भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र से निकाला गया है जहां कि ऐसे अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के उत्पादन का काम या प्रक्रिया पूरी की गई हो और तैयार उत्पाद के उत्पादन का काम या प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगाये गये मूल्य के आधार पर भी निकाला गया है जो उस भागीदार राज्य में अंतिम रूप से तैयार किए गए उत्पाद के निर्माण

की प्रक्रिया में इनपुट के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, जिसमें प्रत्यक्ष श्रमिक लागत, प्रत्यक्ष उपर्शीर्ष लागत, परिवहन लागत और इस अंतिम उत्पाद का लाभ भी शामिल है। उपर्युक्त व्याख्या के अंतर्गत किसी उत्पाद को किसी भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र में अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के उत्पादन का काम या प्रक्रिया पूरी हुई हो बशर्ते कि वी ओ एम 1 और वी ओ एम 2 को योग इसके एफ ओ बी मूल्य के 60 प्रतिशत से कम न हो।

10. नियम (6) के उपवाक्य (ख) के उप-उपवाक्य (2) के प्रावधान में ''उत्पाद वहां पर व्यापार या उपभोग में प्रवेश न कर गये हों '' शब्दावली की व्याख्या मध्यस्थ गैर-भागीदार राज्य के सीमाशुल्क प्राधिकारी के नियंत्रण में रहने वाले उत्पाद, जिसमें निर्यात संबंधी क्लीयरेंस की कोई प्रक्रिया न की गई हो, के बारे में यह माना जाएगा कि यह निर्यातकर्ता भागीदार राज्य द्वारा आयात करने वाले भागीदार राज्य को भेजा जाने वाला प्रत्यक्ष खेप है। ''उत्पाद वहां पर व्यापार या उपभोग के लिये प्रवेश" की अभिव्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसे उत्पाद के आयात की घोषणा को स्वीकार कर लिया गया था और उत्पाद को मध्यस्थ देश के घरेलू बाजार के प्रतिबंधित क्षेत्र से जारी कर दिया गया हो जिसका कि खपत होना है या जिसे अन्य किसी अनुबंध के अंतर्गत पुन: निर्यात किया जाना है। अत: ऐसा उत्पाद जो कि सीमाशुल्क प्राधिकारी के नियंत्रण में प्रतिबंधित क्षेत्र में अस्थाई रूप से रखा गया हो और इसमें नियम (6) के उपवाक्य (ख) के उप-उपवाक्य (iii) में यथा परिभाषित रूप से भिन्न किसी प्रकार का कार्य या प्रक्रिया न की गई हो, के बारे में यह माना जाएगा कि इसका न तो व्यापार हुआ है और न ही खपत।" ।

3. उक्त नियमावली में, अनुबंध - क में,

(i) "उदगम संबंधी प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए नोट्स" शीर्षक के अंतर्गत, उप शीर्षक "II बाक्स में की जाने वाली प्रविष्टियां" में प्रविष्टि "बाक्स 5 - टैरिफ मद संख्या" में अंक, शब्द और अक्षर "4 अंकीय एचएस शीर्ष'' के स्थान पर अंक, शब्द और अक्षर ''6 अंकीय एचएस शीर्ष'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii ("उदगम संबंधी प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए नोट्स "शीर्षक के अंतर्गत, उपशीर्षक" II बाक्स में की जाने वाली प्रविष्टियां", में प्रविष्टि '' बाक्समूल - 8 ता संबंधी मानदंड'' की प्रविष्टि में उपवाक्य के स्थान पर (क), निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -:

''(क) पूर्ण रूप से उत्पादित अथवा प्राप्त किये गए उत्पाद : बाक्स 8 में अक्षर "क" प्रविष्ट करें।

(ख) उत्पाद जिनको पूर्ण रूप से उत्पादित अथवा प्राप्त नहीं किये गए हैं, बाक्स 8 प्रविष्टि निम्नानुसार होनी चाहिए :-

1. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर ''ख'' प्रविष्ट करें जो नियम 4 के अनुसार उदगम संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं । अक्षर ''ख'' की प्रविष्टि के बाद उत्पादों के एफ ओ बी मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्ति गैर-भागीदार राज्यों अथवा अनिर्धारित उदगम

मूल की सामग्री हिस्सों अथवा उत्पादों के मूल्य की राशि का उल्लेख किया जाएगा। (उदाहरणार्थ ''ख'' 50 प्रतिशत) ;

2. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर ''ग'' प्रविष्ट करें नियम 5 के अनुसार उदगम संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। अक्षर ''ग'' की प्रविष्टि के बाद निर्यातित उत्पाद के एफ ओ बी मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त निर्यातक भागीदार राज्य के सीमा क्षेत्र में सीमा छेत्र में उदगमित समग्र घटकों की राशि का उल्लेख किया जाएगा; (उदाहरणार्थ ''ग'' 60 प्रतिशत);

3. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर ''घ'' प्रविष्ट करें जो नियम 11 के अनुसार उदगम संबंधी विशेष मानदंडों को पूरा करते हैं;

4. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर ''ड़'' प्रविष्ट करें जो नियम 4 के उपनियम (ख) के अनुसार उदगम संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। अक्षर ''ड़'' की प्रविष्टि के बाद मूलत: उत्पादन के नियम के मानदंड लिखा जाएगा; (उदाहरणार्थ '' ड़'' CTH) ।" ।

4. उक्त नियमावली में, अनुबंध ख के पश्चात निम्नलिखित अनुबंध को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"अनुबंध - ग

एपीटीए के क्षेत्रीय मूल उत्पादन संबंधी नियम

अनुबंध नोट**:**

1. नियम 4 के उपनियम (ख) के अनुसार नीचे कॉलम 4 में निर्दिष्ट मानदंड उसमें उल्लिखित उत्पादों पर लागू होंगे।

2. कॉलम 4 के अंतर्गत और नियम 4 के उपनियम (क) के अंतर्गत दिए गए मूलत: उत्पादन संबंधी मानदंड क्रमश: विशिष्ट मदों पर लागू होंगे। यदि उत्पाद कॉलम 4 के अंतर्गत दिए गए मानदंड को पूरा नहीं करते हैं तो नियम 4 के उपनियम (क) को लागू किया जाएगा।

3. CTH (टैरिफ शीर्ष में परिवर्तन) से अभिप्राय यह है कि गैर-मूलत: उत्पादित वस्तुओं के हार्मोनाइज्ड कामोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम के टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है और इसे एक शीर्ष से हटाकर दूसरे शीर्ष में कर दिया गया है।

4. उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया निर्यातकर्ता भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र में पूरी की गई है।

तालिका

क्रम सं.	एचएस 2017 शीर्ष	उत्पाद का विवरण	मूलत: उत्पादन के मानदंड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2201	पेय पदार्थ, स्प्रिट और सिरका	CTH
2.	2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715	मिनरल फ्यूल	CTH
3.	2852	अजैविक रसायन	CTH
4.	2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942	जैविक रसायन	CTH
5.	3002, 3006	दवा उत्पाद	CTH
6.	3817	मिकस्ड अल्कलायल बेंजीन	CTH
7.	3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906	प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं	CTH
8.	3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं	CTH
9.	4002	कृत्रित रबर	CTH 4001 ***शीर्षक के सिवाय***
10.	6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406	फुटवीयर, गेटर्स और इसी तरह के; इसी प्रकार की वस्तुओं के भाग	CTH

क्रम सं.	एचएस 2017 शीर्ष	उत्पाद का विवरण	मूलत: उत्पादन के मानदंड
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	6801, 6802, 6803	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, अदह और माइका या इसी तरह की सामग्री से बनी हुई वस्तुएं	CTH
12.	7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7218, 7224	लोहा और इस्पात	CTH
13.	7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326	लोहे और इस्पात से बनी हुई वस्तुएं	CTH
14.	7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7415, 7418, 7419	तांबा और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
15.	7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508	निकेल और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
16.	7601, 7602, 7603, 7604, 7605,7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616	एलुमिनियम और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
17.	7801, 7802, 7804, 7806	सीसा और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
18.	7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7907	जिंक और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
19.	8001, 8002, 8003, 8007	टिन और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH

क्रम सं.	एचएस 2017 शीर्ष	उत्पाद का विवरण	मूलतः उत्पादन के मानदंड
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	8536	विद्युतीय मशीनरी और उपकरण और भाग	CTH
21.	9619, 9620	विविध विनिर्माण वस्तुएँ	CTH".

[फा. सं. सीबीईसी -15021/2/2016-डीआईआर (आईसीडी)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 94/2006 – सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31st अगस्त, 2006, जोकि का.आ. 1390(अ) 31st अगस्त, 2006 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा जिसे का.आ. 1679(अ) दिनांक 9 जुलाई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2009- सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 9 जुलाई, 2009 के द्वारा संशोधित किया गया था।